रक्षा उत्पादन नीति

रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता सामरिक और आर्थिक कारणों से काफी महत्वपूर्ण है अतः स्वतंत्रता से ही यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इसलिए सरकार वर्षों से देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक शस्त्र/गोलाबारूद/उपकरण/प्लेटफार्म और प्रणालियां प्रदान करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास, आयुध निर्माणियों और रक्षा उपक्रमों में क्षमताएं बनाने का गहन प्रयास कर रही है। सरकार का विचार है कि शैक्षिक क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में उपलब्ध क्षमताओं के साथ उभरती भारतीय औद्यौगिक प्रगति का उपयोग करने की वजह से इस उद्देश्य प्राप्त करना संभव हुआ है।

2 इसके परिणामस्वरूप, अच्छी तरह विचार करने तथा भागीदारों के साथ परामर्श करने के बाद सरकार ने एक रक्षा उत्पादन नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस नीति के उद्देश्य रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में निर्धारित समय सीमा में यथाशीघ्र पर्याप्त रूप से आत्म-निर्भर होना, इस उद्यम में निजी औद्योगिक जगत द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहायक स्थितियां उत्पन्न करना, स्वदेशीकरण में लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता में वृद्धि करना तथा देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास आधार को व्यापक बनाना है। फिर भी उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करते हुए समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी सेनाएं हर समय तात्कालिक तथा स्थायी रूप से अपने संभावित विरोधियों से आगे बनी रहें। यह बात सुनिश्चित की जाएगी अतः सरकार ने निर्णय किया है कि:-

3 रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसलिए जहां कहीं सेनाओं द्वारा चाही गई समय सीमा के भीतर अपेक्षित शस्त्र, गोलाबारूद और उपकरण भारतीय उद्योगों द्वारा बनाना संभव हो तो भारतीय स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएगी। जब कभी भारतीय उद्योग अपेक्षित समयावधि में सेना की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण बनाने और पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं तो रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएगी। अधिप्राप्ति के मामलों की जांच करते समय विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति करने का निर्णय करने से पूर्व अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति और सुपुर्दगी में लगने वाले समय तथा देश में इसके निर्माण में लगने वाले अपेक्षित समय के साथ-साथ मांग की आवश्यकता एवं महत्व की भी जांच की जाएगी ।

4 अनुमोदित दीर्घकालीन संघटित संदर्श योजना (एलटीआईपीपी) के आधार पर उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों को बनाने/विकसित करने के लिए 10 वर्ष का समय लगना अपेक्षित है और उससे आगे की अवधि में ये सभी कमोबेश देश में ही विकसित/संघटित/निर्मित किए जाएंगे। अपने देश में किफायती या व्यावहारिक रूप से न बनाई जा सकने वाली उप

प्रणालियों/उपकरणों/पुर्जों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनका आयात किया जा सकता है। फिर भी, यथासंभव प्लेटफार्मों/प्रणालियों का डिजाइन और उनका संघटन देश में ही किया जाएगा।

5 सरकार, रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके सघन स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बनाने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य के लिए विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय रक्षा उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले या प्रभावित कर सकने की क्षमता वाले विषयों की निरंतर पहचान की जाएगी तथा उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा ।

6 सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और समयावधि सीमा में अत्याधुनिक रक्षा उपकरण/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्म बनाने में राष्ट्रीय क्षमता को सहयोगी और व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ढांचे में सभी व्यावहारिक दृष्टिकोण जैसे सहयोग निर्माण, संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी आदि आरंभ की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शैक्षिक, अनुसंधान और विकास संस्थाएं तथा प्रतिष्ठित तकनीकी एवं वैज्ञानिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा ।

7 सरकार, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की बनाओ (मेक) श्रेणी के अंतर्गत प्रक्रियाओं को इस ढंग से अधिक सरल बनाएगी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र उद्योग कम समयावधि में वांछित उपकरणों, शस्त्र प्रणालियों, प्लेटफार्मों के डिजाइन बना सकें व उनका विकास कर सकें ।

8. सेना मुख्यालय (सर्विस हैडक्वार्टस), विकसित/संघटित/निर्मित किए जाने वाले रक्षा उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों की गुणता संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण करते समय हर समय गुणता संबंधी अपेक्षाओं का संभाव्यता और व्यावहारिकता का ध्यान रखेंगे । फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में डिजाइन/विकसित/संघटित की गई प्रणालियां/प्लेटफार्म हमारे संभावित विरोधियों के मुकाबले हमारी सेनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक धार प्रदान कर सकें ।

9. सरकार यह भी मानती है कि जटिल प्रणालियों का विकास प्राय: चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया है जो एमके-I और एमके-II और इस प्रकार के आगे निरन्तर प्रगतिशील संवर्धनात्मक परिवतनों के साथ चलती है । चरण आधारित प्रकिया को अपनाया जाएगा । फिर भी ऐसी प्रत्येक विकासात्मक परियोजनाओं की रक्षा उत्पादन बोर्ड या रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के द्वारा की जाने वाली समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे उपकरण, शस्त्र प्रणालियां और प्लेटफार्म ऐसे हों कि वे हमारे संभावित विरोधियों पर हमारी सेनाओं को धार प्रदान कर सकें । यदि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब होता है तो तदनुरूपी प्रस्ताव रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए जाएंगे और स्वदेशी उत्पादन क्षमता स्थापित होने तक

आवश्यक संख्या में 'क्रय' विकल्प का पालन किया जाएगा । इसके बाद स्वदेशी प्रणालियों की अधिप्राप्ति की जाएगी ।

10. आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र को अपने अनुसंधान और विकास विंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां बनाई जाएंगी ताकि निर्माणाधीन प्रणालियों में निरंतर उन्नयन एवं सुधार किया जाना संभव हो सके ।

11. सरकार, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ-साथ एस एम ई सहित सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों को रक्षा उपकरण / प्रणालियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास समर्थन प्रदान करने हेतु एक अलग वित्तीय कोश स्थापित करेगी ।

12. प्रौद्योगिकी अंतरण के सभी मामलों में अपेक्षित प्रौद्योगिकी की पहचान और मूल्यांकन के लिए रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना मुख्यालय और सर्विस हैडक्वार्टर्स को शामिल किया जाएगा, बाद में वे यह सुनिश्चत करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त रूप से समावेशन हो । इसके बाद शस्त्र प्रणालियों / प्लेटफार्मों की अगली श्रृंखला देश में ही विकसित की जाएगी ।

13. भारतीय उद्योग जगत द्वारा उपर्युक्त प्रणालियों का संभव उन्नयन किया जाएगा । प्रणालियों के निरंतर उन्नयन के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना मुख्यालय और सर्विस हैडक्वार्टर्स, आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा निजी क्षेत्र गहन समन्वय के साथ कार्य करेंगे ।

14. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित समितियां उपरोक्त नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुसार अधिग्रहण प्रस्तावों पर कार्यवाही करेंगी ।

15. रक्षा मंत्री, वर्ष के दौरान प्राप्त आत्मनिर्भरता की प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेंगे ।

16. यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।